संख्या-14/2015/24/47-का-2015-24/16/2013

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 13 मार्च, 2015**

विषय - वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मद संख्या-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) की संभावित बचत से मद संख्या-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि रू0-6,91,000/- उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी के पत्र संख्या-III-47 Volu. VIII/1398, दिनांक 05/05/2015 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-647/47-का-3-2014-24/16/2013, दिनांक 11.04.2014, शासनादेश संख्या-78/1870/47-का-3-2014-24/16/2013, दिनांक 01.08.2014 एवं शासनादेश संख्या-2445/47-का-3-2014-24/16/2013, दिनांक 12.11.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के माध्यम से वेतन मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि वास्तविक व्यय से कम होने के करण लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-003-प्राशिक्षण -11-उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में होने वाली बचतों से रू0-6,91,000/-(रूपये छः लाख इक्यानबे हजार मात्र) की धनराशि उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि व्यावर्तन के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में कर लिया जायेगा तथा जिस मद से धनराशि व्यावर्तित की जा रही है, में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक संख्या-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-00-003-प्रशिक्षण-11-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) से रू0-6,91,000/-(रूपये छः लाख इक्यानबे हजार मात्र) 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक - प्रपत्र/बी.एम.-9.

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

2/-

संख्या-14/2015/24(1)/47-का-3-2015-24/16/2013, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) विशेष सचिव, वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-5.
(4) विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 2.
(5) नियुक्ति अनुभाग-6 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
(6) नियुक्ति अनुभाग-6 (लेखा कोष्ठक)।
(7) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(संजय कुमार सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in